

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत।

सेवा में,

लिटिल रोज ग्लोबल पब्लिक
जूनियर हाई स्कूल, देहली रोड,
बागपत।

पत्रांक-शिव0/ 4516 /2018-19

दिनांक- 14-08-2018

विषय-मान्यता के स्थायी होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा वर्ष 2014-15 में मान्यता हेतु आवेदन किया गया था। आपके आवेदन पत्र पर मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक शिव0-10382-83/2014-15 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा कक्षा एक से आठ तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी।

अतः आपके विद्यालय की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने उपरान्त शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी मान्यता की सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

(चन्द्रकेश सिंह)
14.08.18

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

Principal
Little Rose Global Public
Junior High School
Delhi Road, Baghpat-250609


Pramata

Secretary
Smt. Savita Memorial Educational Society
Baghpat U.P.

S. J. K.


19. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2014-15 UPS अग्रेजी 10 हैं। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय


24.02.15

(डॉ०एम०पी०सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।



पृ०स०: शि०स०/

/2014-15

तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद बागपत।

Principal
Little Rose Global Public
Junior High School
Delhi Road, Baghpat-250609



G:\Devesh\Malik.doc 3 -

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

Secretary
Smt. Savita Memorial Educational Society
Baghpat U.P.



- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (5) अनिधनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जाना।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार पत्रावली में अंकित हैं:- नोट-कक्षा 1-12 के पत्रावली के पत्रावली विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 8344/2014-15 (पत्रावली 5/12/2014 के द्वारा) कुल निर्मित क्षेत्र 20670 मि० मि० म० म० का पत्रावली में क्षेत्रफल क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल पकानली में जांच आधीनकी आधीनकी 15-12-12 कक्षाओं की संख्या छद्मविद्यालयों का विद्यालय कमिटी है
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता
09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

Principal
Little Rose Global Public
Junior High School
Delhi Road, Baghpat-250609

G:\Devesh\Malik.doc 2 -

Premkati

जि. (डॉ० एम० पी० सिंह)
जि. नि. बोर्डक विद्या अधिकारी
नामपत्र
Secretary
Smt. Savita Memorial Educational Society
Baghpat U.P.

Dr. Singh

पेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
लिटिल रोज ग्लोबल पब्लिक
जूनियर हाई स्कूल देहली रोड,
जनपद बागपत।

पत्रांक:श10स0/10382-93/2014-15

दिनांक: 24-02-2015

विषय: निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख/वर्ष 2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार तथा श्री वीरेन्द्र सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी बागपत के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिये गये निर्देश से, मैं लिटिल रोज ग्लोबल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल देहली रोड, (बागपत) को तारीख 26.12.2014 से 25.12.2017 तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01 (एक) अंग्रेजी से कक्षा 08 (आठ) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

Principal
Little Rose Global Public
Junior High School
Delhi Road, Baghat-250609

Devesh Malik doc 1

Devesh Malik

(डॉ० एम० वी० सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत
Secretary
Smt. Savita Memorial Educational Society
Baghat U.P.
[Signature]